जनपद-संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 08.10.2024

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. शीला देवी पत्नी राममनोहर साकिन भिरवा थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर 2. अमरावती पत्नी जगदीश साकिन भिरवा थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री वीर बहादुर यादव, हे0का0 मनोज कुमार यादव, का0 आशु यादव, म0आ0 रूची खरवार ।

थाना महुली पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता रवि सोनकर पुत्र रोहित सोनकर निवासी महुली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री देवेन्द्र तिवारी ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 80 वाहनों से 94,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 80 वाहनों से 94,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित बाल अपचारी गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री हरेश तिवारी*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 325/2024 धारा 70(2), 351(2) बीएनएस व 3(2)(5), 3(2)(5ए) एससी/एसटी एक्ट व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना महुली पर दिनांक 05.09.2024 को उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादिनी के नाबालिग पुत्री को जबरन बाग में ले जाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 08.10.2024 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री हरेश तिवारी, हे0का0 गौतम यादव, का0 जितेन्द्र यादव।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री हरेश तिवारी*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 331/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सों एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त रितेश कुमार कन्नौजिया पुत्र शिवम कुमार निवासी वार्ड नं0 06 जवाहरनगर न0पं0 हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को रमावती देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौरा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना महुली पर दिनांक 12.09.2024 को उक्त अभियुक्त द्वारा अपने दो साथियों के सहयोग से वादिनी की नाबालिग पुत्री को साजिश करके दुष्कर्म करने व जबरदस्ती शादी करने की नीयत से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर दिनांक 07.10.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, का0 छोटेलाल, का0 रंगप्रिय गौतम, का0 सूर्यप्रकाश।

आईजीआरएस पोर्टल पर जनशिकायतों के निस्तारण में माह सितम्बर की मासिक रैकिंग मे जनपद संतकबीरनगर को प्रदेश में मिला प्रथम स्थान

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर पुलिस को आईजीआरएस पोर्टल पर जनशिकायतों के निस्तारण पर *प्रदेश में प्रथम स्थान* प्राप्त हुआ है। महोदय द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिये गये है कि थाने पर उपस्थित पीड़ित / शिकायतकर्ता के साथ अच्छा तालमेल एवं उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर गुण-दोष के आधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करें। गौरतलब है कि जनशिकायतों का निस्तारण आनलाइन किया जाता है पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का एक निश्चित समय दिया जाता है, जिसे उन संदर्भों को नियत समयावधि के अन्तर्गत निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। पोर्टल पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त संदर्भों की जॉच हेतु जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण की निष्पक्ष एवं गुणवत्तापरक जाँच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाती है उल्लेखनीय है कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का गुणवत्तापरक निस्तारण मे वर्ष-2024 में माह – सितम्बर की मासिक रैकिंग में जनपद को *प्रथम स्थान* प्राप्त हुआ है साथ ही *थाना मेहदावल, दुधारा, धर्मसिंहवा, बखिरा एवं महिला थाना* को प्रदेश में *प्रथम स्थान* प्राप्त हुआ है। जनपद में आईजीआरएस पोर्टल पर शासन एवं पुलिस अधिकारियों के स्तर से प्राप्त समस्त संदर्भों का गहराई एवं निष्पक्ष जाँच हेतु निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाता रहता है तथा पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों की जाँच आख्या प्राप्त होने पर जॉच आख्याओं का भी गहनता से परीक्षण किया जाता है, जॉच पुष्टिकारक न होने पर आईजीआरएस संदर्भ पुनः जॉच के लिए सम्बन्धित अधिकारी को कड़े निर्देश के साथ वापस कर दिया जाता है।